कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून)
office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh

Phone/fax No.: 0135-2430660 E-mail: eetdrksh @rediffmail.com

पंत्राक...................... /1सी0 **दिनांक. 1/ 4 /2024**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः— जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चित्तौर थाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः— **भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/101/2020/एफ0सी0/39 दिनांक 08.04.2022 तथा इस कार्यालय के पत्रांक सं0 589/1सी0 (कैम्प) दिनांक 29.11.2021 तथा पत्रांक सं0 313/1सी0 (कैम्प) दिनांक 01.02.2024 तथा पत्रांक सं0 252/1सी0 (कैम्प) दिनांक 07.03.2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में पुनः अवगत कराना है, कि भारत सरकार द्वारा वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर आपत्ति लगाई गई थी। उक्त आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण कर दिया गया है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (क) के सापेक्ष यह सूचित किया गया है कि mutation की प्रक्रिया कार्याधीन है। राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व mutation के दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (क) के सापेक्ष mutation करा दिया गया है (प्रति संलग्न)
2. क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (1) के अनुसार, विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें तथा notification की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।	क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (1) के अनुसार, विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में I notification करा दिया गया है। (प्रति संलग्न)
3. राज्य सरकार खतौनी के विवरण के दस्तावेजों की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रदाय करने का कष्ट करें।	खतौनी की प्रति संलग्न।
4. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ग) की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। अतः शर्त संख्या 3 (ग) की पूर्ण अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा दिया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रसारित करने की कृपा करें ताकि भारत सरकार से उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

o/c

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
ऋषिकेश

पंत्राक....329..... /1सी0 **दिनांक. 1/ 4 /2024**

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
2. सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश।

oc

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
ऋषिकेश

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

पत्र सं0:- /डी0एल0आर0सी0/भूमि आवंटन/2021-22 दिनांक - 10.2021

विषय:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र, डोईवाला में कालीमाटी चित्तौर घाईसेन होत हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण होने तथा उक्त निर्माण में आने वाली भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी,
डोईवाला।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-901/र0का0-2021 दिनांक 03 जुलाई 2021 एवं पत्रांक 239/एस0टी0-2021 दिनांक 05 जुलाई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र, डोईवाला में कालीमाटी चित्तौर घाईसेन होत हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 का हस्तान्तरण होने तथा उक्त निर्माण में आने वाली भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि आवंटन किये जाने हेतु ग्राम लवडाकोट तहसील डोईवाला के खाता संख्या 57 में खसरा नम्बर 260 में रक्बा 2.5050 है0 एवं खसरा नम्बर 264 रक्बा 1.2590है0 में से 0.5400है0 कुल रक्बा 3.0450है0 भूमि श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को प्रस्तावित किया गया है।

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 , शासनादेश संख्या 111/XXVII(7)50 (39)-2015 /2014-वित्त (वे0आ0 -सा0नि0) अनुभाग-7 दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 एवं शासनादेश संख्या 496/18(2)/2020-09(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम लवडाकोट तहसील डोईवाला के खाता संख्या 57 में खसरा नम्बर 260 में रक्बा 2.5050 है0 एवं खसरा नम्बर 264 रक्बा 1.2590है0 में से 0.5400है0 कुल रक्बा 3.0450है0 भूमि श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों मे वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

ह0/-
(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
जिलाधिकारी
देहरादून

दिनांक-25.10.2021

प्रतिलिपि :- 1.प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2.अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिलाधिकारी(प्र0)
देहरादून

प्रेषक,

तहसीलदार
डोईवाला।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रो0)
देहरादून

द्वारा– उप जिलाधिकारी डोईवाला

पत्रांक 901 /र0का0 - 2021 दिनांक 3 जुलाई 2021

विषय:– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी, चित्तौर, घाईसैन होते हुए अपर तलाई तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 790/डी0एल0आर0सी0–2021 दिनांक 04 जून 2021 के अनुपालन जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी, चित्तौर, घाईसैन, होते हुए अपर तलाई तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है0 वनभूमि के एवज मे दोगुनी सिविल भूमि का लो0नि0वि0 का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक से जांच करायी गयी। राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक की आख्यानुसार वन विभाग की एवज में मौजा लड़वाकोट परगना परवादून तहसील डोईवाला जिला देहरादून में स्थित भूमि खसरा न0 260 रकवा 2.5050 है0 एवं खसरा न0 264 रकवा 1.2590 है0 में से रकवा 0.5400है0 कुल रकवा 3.0450है0 भूमि जो राजस्व अभिलेखों में खाता सं0 57 में श्रेणी 5–3–ड अन्य कृषि योग्य बजर भूमि अंकित है। उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण किया जाना उचित है। उक्त भूमि को वन भूमि के नाम अंकित किये जाने हेतु भूमि प्रबन्धन समिति लड़वाकोट का प्रस्ताव एवं खतौनी एवं नक्शा शजरे की छायाप्रति संलग्न है।

अतः वन विभाग को ग्राम सभा की सिविल भूमि हस्तान्तरण हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीया,
(रेखा आर्य) 03/7/21
तहसीलदार
डोईवाला।

महोदय,
तहसीलदार आख्यानुसार लो.नि.वि. को हस्तांतरित वन भूमि के एवज में उपरोक्तानुसार उल्लिखित 3.0450 है. भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने की संस्तुति सहित सम्प्रेषित।

SDM Doiwala
उप जिलाधिकारी 5/7/2021
डोईवाला

महोदय सन्दर्भित पत्र कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून पत्र सं० 790/डी-एल-आर-सी०-2021 दिनांक 4 जून 2021

विधान सभा क्षेत्र डोईवाला

विषय - जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के कालीमाटी चितौर थानों होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5222 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में दोगुनी सिविल भूमि या लो. नि० वि० को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत है कि उपरोक्त वन विभाग की एवज में मौजा लड़वाकोट परगना परवादून तहसील डोईवाला देहरादून में स्थित भूमि खसरा नम्बर

C·138, 260 रकबा 2.5050 हेक्टेयर एवं खसरा नं० 264 मे से

C·317 0.5400 है० कुल 3.0450 हेक्टेयर [illegible] की भूमि जो राजस्व अभिलेखों में खाता सं० 57 में श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि [illegible] अंकित है। उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण किया जाना समुचित है। उक्त भूमि को वन विभाग के नाम अंकित किये जाने हेतु भूमि प्रबन्धक समिति लड़वाकोट का प्रस्ताव एवं खतौनी एवं नक्शा राजस्व की छायाप्रति संलग्न करते हुए आख्या सेवा में प्रेषित है।

3/7/2021
रा० उ० नि०
[illegible]

महोदय,

उक्त प्रोजेक्ट हेतु वन विभाग को ग्राम सभा की सिविल भूमि हस्तान्तरण हेतु मौजा लड़वाकोट एवं खतौनी राजस्व की छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त कार्यवाही हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है।

3/7/2021
(रा० नि०)

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 630 /X-3-23/1(117)/2020
देहरादून: दिनांक: 10 जुलाई, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजार्थ जिला देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी–चित्तौर–घाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–5–3–ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के 3.0450 है0 क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0सं0	जिला	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किस्म
						(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	देहरादून	डोईवाला	लवडाकोट	57	260	2.5050	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 5–3–ड
					264	0.5400	
					योग–	3.0450	

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग–2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी0पी0एस0 लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	78°11' 34.799" E	30°16' 26.789" N
2	78°11' 31.225" E	30°16' 26.015" N
3	78°11' 29.252" E	30°16' 28.340" N
4	78°11' 28.275" E	30°16' 30.582" N
5	78°11' 27.582" E	30°16' 30.318" N
6	78°11' 26.583" E	30°16' 27.777" N
7	78°11' 25.909" E	30°16' 26.299" N
8	78°11' 24.375" E	30°16' 25.295" N
9	78°11' 26.906" E	30°16' 24.073" N
10	78°11' 29.580" E	30°16' 23.515" N
11	78°11' 31.915" E	30°16' 23.163" N
12	78°11' 33.547" E	30°16' 23.293" N
13	78°11' 35.106" E	30°16' 23.804" N
14	78°11' 35.924" E	30°16' 24.961" N

(धर्म सिंह मीणा)
अपर सचिव।

9/2023

संख्याः– 1136/X-3-23/1(117)/2020 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
7. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड(ब), भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

Signed by Satya Prakash Singh
Date: 18-07-2023 13:08:52

आज्ञा से,
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0 18-1(1)
प्रतिदर सं0 सू0 3
दिनांक 21-7-2023

D/man
21/07

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने त

ग्राम का नाम : लड़वाकोट परगना : (परवादून) तहसील : डोईवाला जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1430-1435 भाग : 1 खाता संख्या : 00057

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 5-3-ड / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि ।					
बंजर / /		107क 120छ 126ख 147च 150क 169ग 181क 222ङ 224 225 229 245क	2.1330 0.4260 0.0120 0.0200 0.0250 0.0200 0.2830 0.0310 0.4050 0.1740 1.2130 0.1130	आ.जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0 1503/डी0एल0आर0सी0/भूमि आवंटन/2021-22 दिनांक 30.10.2021 पर उप जिलाधिकारी डोईवाला के आदेश दि. 08.11.2021 एवं तहसीलदार डोईवाला के आदेश दि. 9.11.2021 अपने कार्यालय के पत्र सं0 901/ए0का0-21 दिनांक 03 जुलाई 2021 एवं पत्रांक 239/एस0टी0-2021 दिनांक 05 जुलाई 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमे जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चित्तौर भाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण होने तथा उक्त निर्माण में आने वाले भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि आवंटन किये जाने हेतु ग्राम लड़वाकोट तहसील डोईवाला के खाता सं0 57 में खसरा नं0 260 रकबा 2.5050 हे0 व खसरा नं0 264 रकबा 1.2590 हे0 में से 0.5400 हे0 कुल रकबा 3.0450 हे0 भूमि श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को प्रस्तावित किया गया/ आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश सं0 2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2020 राजस्व अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 17 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या	

Disclaimer: उक्त अभिलेख मात्र अवलोकनार्थ है, नवीनतम प्रति हेतु मे जुरुण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।
Data Updated Upto: Tue Mar 26 13:11:38 IST 2024
Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.
Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने त

ग्राम का नाम : लडवाकोट परगना : (परवादून) तहसील : डोईवाला जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1430-1435 भाग : 1 खाता संख्या : 00057

		260 261 264 273ग	2.5050 0.3640 1.2590 0.1620	111/XXVII(7)/50 (39)/2015/2014- वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 दिनांक 09 जुलाई 2015 तथा शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई 2015 एवं शासनादेश संख्या 496/18(2)/2020-09(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम लडवाकोट तहसील डोईवाला के खाता सं0 57 में खसरा न0 260 रकवा 2.5050 हे0 व खसरा न0 264 रकवा 1.2590 हे0 मे से 0.5400 हे0 कुल रकवा 3.0450 हे0 भूमि श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड को हस्ताक्षर/आवंटित किया जाता है/ परवाने से कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के आदेश सं. 970/12ए-182 (2020-2023) डी0एल0आर0सी0 दिनांक 24 जून, 2023 व उप जिलाधिकारी डोईवाला के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 28.06.2023 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- फाईल नं. 11-MISC/OTH/1/2020-XXXIV-1-information technology (Computer No. 164) 1/80547/2022 दिनांक 05 दिसम्बर 2022 के द्वारा दूर संचार मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं. DDG(SP)/USOF/DOT/Uncovered village- Part (1) दिनांक 19.08.2022 के अनुक्रम में राज्य में 4 जी मोबाइल कनेक्टिविटी से अनाच्छादित गांवो को बी0एस0एन0एल0 द्वारा 4 जी कनेक्टिविटी से आच्छादित करने हेतु टावर स्थापित करने के लिए 2000 वर्गमीटर भूमि (वन भूमि के अतिरिक्त) नि:शुल्क आवंटित किये जाने हेतु जिलाधिकारियों को अधिकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार	

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Data Updated Upto: Tue Mar 26 13:11:38 IST 2024

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India Power To Empower

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने त

ग्राम का नाम : लडवाकोट परगना : (परवादून) तहसील : डोईवाला जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1430-1435 भाग : 1 खाता संख्या : 00057

				जिला क्रास रोड देहरादून के पत्र सं. DO.NO.PGMTD/DN/4G/2022-23/35 दिनांक 27.01.2023 एवं पत्रांक PGMTD/DN/4G-Saturaion/2022-23 दिनांक 01.02.2023 एवं उप जिलाधिकारी डोईवाला से प्राप्त आख्या दिनांक 22 जून 2023 तथा शासनादेश संख्या फाईल नंम्बर -11-MISC/OTH/1/2020-XXXIV-1-information technology (Computer No. 164) 1/80547/2022 दिनांक 05 दिसम्बर 2022 के क्रम मे आवंटित किये जाने वाली भुमि ग्राम लडवाकोट तहसील डोईवाला जिला देहरादून के खाता सं. 57 खसरा नं. 120 छ रकबा 0.0185 है. 5-3-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि व ग्राम धारकोट तहसील डोईवाला जिला देहरादून के खाता सं. 25 खसरा नं. 80 रकबा 0.0185 है. 6-5 पहाड जो अन्य कारणो से अकृषक भूमि है अत्एव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- फाईल नं. 11-MISC/OTH/1/2020-XXXIV-1-information technology (Computer No. 164) 1/8054/2022 दिनांक 05 दिसम्बर 2022 के क्रम मे शासनादेश सं. 496/XVIII(II)/2020-08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020, शासनादेश सं. -111/XXVII(7)/50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015 शासनादेश सं. 1887/XVIII(II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई 2015 एवं शासनादेश सं. 260/ वित्त अनुभाग-3/2022 दिनांक 15 फरवरी, 2002 की शर्तो एवं प्राविधानो के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशो मे दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार 1- भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा, वन मामलों मे भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबंध नही होगा 2. जिस परियोजन के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए	

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, तत्संबंधित कम्प्यूटर केन्द्र से मुद्रण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Data Updated Upto: Tue Mar 26 13:11:38 IST 2024

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने त

ग्राम का नाम : लडवाकोट परगना : (परवादून) तहसील : डोईवाला जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1430-1435 भाग : 1 खाता संख्या : 00057

				आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो 3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नही होनी चाहिए 4.यदि भूमि वन विभाग की रक्षित भूमि हो तो वह हस्तांतरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी, रक्षित वन भूमि के हस्तांतरण से सम्बंधित ग्राम वासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तांतरित भूमि के उपयोग करने मे साथ लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नही करायी जायेगी 5. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तांतरित भूमि का कोई मूल्य नही लेगा लेकिन यदि उस भमि पर पेड इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग की उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना होगा 6. हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुन: आवेदन प्रस्तुत करना होगा यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग मे नही लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा 7. यह आदेश मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशो का अनुपालन सुनिश्ि्चत करना होगा 8. उत्तराखण्ड राज्य मे स्ि्थत सरकारी भूमि दूर संचार विभाग से टावर स्थापित किये जाने हेतु नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्ि्चत किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है उसकी सहमति /अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये /- परवाने से	
योग		16	9.1450		

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Data Updated Upto: Tue Mar 26 13:11:38 IST 2024

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower